न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/3469/2004/अलवर

1 महमूद अब्दल
1 गनीखां
3 अली मोहम्मद
4 जान मोहम्मद पुत्रान मवासी उर्फ बोना
5 दीन मोहम्मद
6 मम्मन
7 सहाबुद्दीन पुत्रान मेहता
8 हारून पुत्र नसीबखां
9 मु0 महकी बेवा नसीबखां
10 दीनु पुत्र समम्न
11 नसरू पुत्र रहीम खां
12 मजीब पुत्र रहीमखां
13 कमरू पुत्र घेासी
14 ईस्माईल पुत्र घोसी जाति मेवान निवासी घाटी का बास तन बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर

अपीलार्थीगण

बनाम

मु0 जमीला पुत्री रूजद्दार जाति मेव निवासी घाटी का बास तन बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री अयूब खां वकील अपीलार्थीगण
श्री डूंगरसिंह वकील प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांकः.16.12.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या

127/2002 में पारित निर्णय दिनांक 2.7.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादिया प्रत्यर्थी ने एक वाद बाबत इस्तकरार हक व दुरूस्ती राजस्व रेकर्ड एवं हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 अधनियम के उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबास के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाघोडा स्थित विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 82, 93, 96, 169, 170, 177, 159, 61 कुल किता 8 रकबा 12 बीघा वादिया के दादा अन्धा पुत्र भागू मेव की खातेदारी की थी। विवादित आराजीयात वादिया की पैतृक सम्पति है। अन्धा के पुत्र रूजदार की वादिया पुत्री है। वादिया का पिता रूजदार अन्धा के जीवनकाल में काश्त करता चला आ रहा था। अन्धा की एक लडकी मु0 मामली शादी शुदा थी और अपनी ससुराल में रहती थी। अन्धा के जीवनकाल में वादिया का पिता रूजदार फौत हो गया एवं वादिया की माता मु0 ऐमना ने घरवासा कर लिया। अबोध अवस्था में वादिया अपनी माता के साथ चली गई। अन्धा के मरने पर उसकी तमाम काश्त की आराजी पर इन्तकाल विरासत से मु0 मामली ने तन्हा अपने नाम दर्ज कराकर खातेदारी दर्ज करा ली एवं प्रतिवादीगण को बेचान कर दिया जबकि वादिया का इसमें 1/2 हिस्सा है। वादिया बालिग होने पर एवं जानकारी होने पर यह दावा प्रस्तुत किया है। अतः वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 12. 11.2002 से वादिया का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 2.7.2004 से अपील स्वीकार कर वादिया का वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अन्धा पुत्र भागू मेव के एकमात्र पुत्री मु0 मामली ही थी। रूजदार नाम का कोई पुत्र नहीं था एवं वादिया प्रत्यर्थी अन्धा की पोती नहीं है। अन्धा की एकमात्र वारिस मु0 मामली होने से विवादित आराजीयात उसके खातेदारी में दर्ज हो गई एवं उसने अपीलार्थीगण को विधिवत प्रतिफल प्राप्त कर पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर दी। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने यह भी तर्क दिया कि यदि विकल्प के तौर पर अन्धा का पुत्र रूजदार होना एवं उसकी पत्नी ऐमना तथा पुत्री जमीला होना माना भी जावे तो भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के अनुसार वादिया पर्सनल ला के अनुसार ही अपना उत्तराधिकार मांग सकती है। मुस्लिम ला में पैतृक सम्पति एवं स्वअर्जित की कोई अवधारणा

लागू नहीं होती है। मुस्लिम विधि के अनुसार खातेदार की मृत्यु के पश्चात ही उत्तराधिकार मिलता है। खातेदार के जीवनकाल में सम्पति चाहे पैतृक हो अथवा स्वअर्जित, उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जिससे वादिया जमीला को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। विद्वान अभिभाषक ने आर.आर.टी. 2017(2) पेज 803 एवं आर.आर.डी. 2017 पेज 430 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों से यह साबित है कि अन्धा के एक पुत्र रूजदार भी था तथा रूजदार की पत्नी ऐमना थी। रूजदार एवं ऐमना की पुत्री जमीला है। जिससे जमीला का विवादित आराजीयात में आधा हिस्सा बनता है परन्तु विवादित आराजीयात अन्धा की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री मामली के नाम दर्ज हो गई। रूजदार की मृत्यु अन्धा के जीवनकाल में हो जाने से रूजदार के वारिसान के हक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का विवेचन कर विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित किया है । अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. वर्तमान प्रकरण में वादिया प्रत्यर्थी ने अपने वाद में मुख्य आधार यही लिया है कि विवादित आराजीयात उसके दादा अन्धा के खातेदारी की थी तथा उसके पिता रूजदार का स्वर्गवास अन्धा के जीवनकाल में हो गया एवं उसकी माता ऐमना ने अन्यत्र घरवासा कर लिया। इससे यह स्पष्ट है कि वादिया के स्वंय के अनुसार ही अन्धा के पुत्र रूजदार का देहान्त अन्धा के जीवनकाल में ही हो गया था। यह भी स्पष्ट है कि पक्षकारान धर्म से मुसलमान होने से मुस्लिम पर्सनल ला लागू होगा।

7. प्रस्तुत प्रकरण में वादी अकेले अपनी भुआ के नाम दादा की विरासत अंकित होने को चुनौति देकर आई है। वादी रूजदार की पुत्री है, इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादी ने प्रस्तुत नहीं किया है। पी.डब्ल्यू. 2 अमना अपने जिरह बयान में कहती है कि एक साल पहले मामली ने जमीन बेची तब पता लगा। मुझे रूजदार ने बताया कि मैं अन्धा का बेटा हूं। पत्नी को पति बताए कि वह किसका बेटा है, यह सहजबुद्धि ग्राहय नहीं है। कथित मां के बयान वादी को रूजदार की पुत्री असंदिग्ध रूप से स्थापित नहीं करते हैं। मौखिक साक्ष्य में भी वादी व उसकी मां ही आए है। अंधा के रक्त सम्बन्ध में से कोई वादी के साक्ष्य में नहीं लाया गया है। इससे

उसका पुत्री होना स्थापित नहीं होता है। प्रथमतः पुत्री स्थापित होने पर ही मुस्लिम विधि अनुसार विरासत देखी जाएगी।

8. तर्क के लिए यदि पुत्री मान भी ली जावे तो भी मामली के नाम इन्द्राज स्म्वत 2028 में जमाबन्दी अनुसार था जो सन् 1972 होता है। वादी ने दावा 2002 में किया है तब अपनी उम्र 32 वर्ष बताई है। तो बालिग होने के इतने वर्ष बाद दावा करने का औचित्य पूर्ण कारण सप्रमाण स्पष्ट नहीं किया है। नामान्तरकरण संख्या 319 के अनुसार दिनांक 12.8.83 को विक्रय पत्र पंजिबद्ध हुआ। ऐसी स्थिति में प्रथम तो पुत्री होना स्थापित नहीं है द्वितीय 30 से अधिक वर्ष पूर्व दर्ज विरासत के आधार पर दर्ज रेकर्ड खातेदार द्वारा विक्रय करने व नामान्तरकरण स्वीकृत होने के 19 वर्ष पश्चात पंजिबद्ध विक्रय पत्र के दृष्टिगत वादी इस वाद द्वारा कोई दादरसी पाने की अधिकारी नहीं है। वादिनी उसकी नाबालिगी में कुदरती वली मामली के अधिकार को मामली के जीवनकाल में चुनौति नहीं दी तथा पश्चात में देरी से चुनौति दिए जाने से तर्क के लिए अंधा के पुत्र की पुत्री होने पर भी यदि कोई अधिकार कुरानिक उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम विधि अनुसार बनते थे तो वह अधित्यज (तिरोहित (WAIVE)) हो गए तथा पंजिकृत विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण होने तथा इतनी अवधि व्यतित होने के पश्चात राजस्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह गए थे। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादिया प्रत्यर्थी का वाद स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है जिससे हम यह अपील स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय व डिक्री दिनांक 2.7.2004 निरस्त किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ बास का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.02 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य